



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06092025-265987
CG-DL-E-06092025-265987

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 611]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 4, 2025/भाद्र 13, 1947

No. 611]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 4, 2025/BHADRA 13, 1947

रेल विकास निगम लिमिटेड

अधिसूचना

नई दिल्ली 4 सितम्बर, 2025

एफ. संख्या 13 आईएनडीबी-बीएनआई/एलए/राजपत्र/11/कार्य पत्राचार दिनांक 03/09/2025— केन्द्रीय सरकार, रेलवे संशोधन, अधिनियम 2008 की धारा 20 (क) की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् की लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, मध्यप्रदेश राज्य के जिला इन्दौर, देवास एवं सीहोर में विशेष रेल परियोजना, "इंदौर से बुदनी तक नई बी.जी. लाइन परियोजना" के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए अपेक्षित है। ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध है, कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20 घ की उपधारा (1) के अधीन उपयुक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आपेक्ष कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उपखण्ड अधिकारी बुदनी को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे सभी आक्षेपों को सुनवाई करने तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात् यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा,

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा, इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और भूमि के अन्य ब्यौरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

मध्यप्रदेश राज्य के सीहोर जिले में विशेष रेल लाइन परियोजना “इन्दौर-बुदनी खण्ड” के लिये अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्रम संख्या	जिले का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सीहोर	बुदनी	पीलीकरार	16/1/3/1	निजी	सिंचित	0.012
				16/5/3/1	निजी	सिंचित	0.130
				13/2/2/3/1	निजी	सिंचित	0.052
				13/2/3/3/1	निजी	सिंचित	0.113
				13/2/4/3/1	निजी	सिंचित	0.115
				13/2/5/3/1	निजी	सिंचित	0.111
				13/2/6/3/1	निजी	सिंचित	0.051
				13/3/3/1	निजी	सिंचित	0.242
				12/2/1/1	निजी	सिंचित	0.038
				12/2/2/1	निजी	सिंचित	0.233
				9/8/1/1	निजी	सिंचित	0.043
				5/3/1	शासकीय	वन	1.492
				2/3/1	शासकीय	वन	0.016
				10/1/1	शासकीय	चरोखर निस्तार	0.099
			तालपुरा	6/2/1	निजी	सिंचित	0.397
		रेहटी	नयागांव	108/2	निजी	सिंचित	0.103
				108/5	निजी	सिंचित	0.493
			बायां	441/329/2	निजी	सिंचित	0.010
			मोगरा	12/1	निजी	सिंचित	0.00
			योग				3.750

राघवेन्द्र सारस्वत, मुख्य परियोजना प्रबंधक

[विज्ञापन-III/4/असा./344/2025-26]

RAIL VIKAS NIGAM LIMITED
NOTIFICATION

New Delhi, the 4th September, 2025

F. No.13 INDB-BNI/LA/Gazette/11/Work Correspondence date 03/09/2025.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railways Amendment Act, 2008 the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the schedule annexed hereto, is required for execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project namely "Indore-Budni New B.G. Railway Line" in the district Indore, Dewas and Sehore in the State of Madhya Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within 30 (thirty) days, from the date of publication of this notification in the Official Gazette raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said act;

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, the Sub-Divisional Officer (revenue) and Land Acquisition Officer Budni Madhya Pradesh, in writing and shall set out the grounds there of and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 20D of the said act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired, with or without structures falling within the Proposed Special Railway Project "Indore-Budni section" District- Sehore in the state of Madhya Pradesh

Sl. No.	Name of the District	Name of the Tahsil	Name of the Village	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in hectare)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sehore	Budni	Pilikarar	16/1/3/1	Private	Irrigated	0.012
				16/5/3/1	Private	Irrigated	0.130
				13/2/2/3/1	Private	Irrigated	0.052
				13/2/3/3/1	Private	Irrigated	0.113
				13/2/4/3/1	Private	Irrigated	0.115
				13/2/5/3/1	Private	Irrigated	0.111
				13/2/6/3/1	Private	Irrigated	0.051
				13/3/3/1	Private	Irrigated	0.242
				12/2/1/1	Private	Irrigated	0.038
				12/2/2/1	Private	Irrigated	0.233
				9/8/1/1	Private	Irrigated	0.043
				5/3/1	Govt	Forest	1.492

Sl. No.	Name of the District	Name of the Tahsil	Name of the Village	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in hectare)
				2/3/1	Govt	Forest	0.016
				10/1/1	Govt	Charokhar Nistar	0.099
			Taalpura	6/2/1	Private	Irrigated	0.397
		Rehti	Nayagaon	108/2	Private	Irrigated	0.103
				108/5	Private	Irrigated	0.493
			Bayan	441/329/2	Private	Irrigated	0.010
			Mogra	12/1	Private	Irrigated	0.00
				Total			3.750

RAGHVENDRA SARASWAT, Chief Project Manager,

[ADVT.-III/4/Exty./344/2025-26]